

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

माध्यमिक शालाओं में शिक्षाकर्मियों का शिक्षक संवर्ग में संविलयन हेतु ₹ 2880.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹28,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्राथमिक शालाओं में शिक्षाकर्मियों का शिक्षक संवर्ग में संविलयन हेतु ₹ 2016.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹20,16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

उच्चतर माध्यमिक शालाओं में शिक्षाकर्मियों का शिक्षक संवर्ग में संविलयन हेतु ₹ 2304.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹23,04,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹ 1301.02 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,01,02,000 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 5 से 6

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बीमा का लाभ प्रदान करने हेतु आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत राशि ₹ 3672.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 36,72,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 7 से 8

भारत सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु प्राप्त होने वाली राशि ₹ 15230.04 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,52,30,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 9

अनुसूचित जाति के विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु ₹ 2200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 22,00,00,000 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 10

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत ₹ 105.58 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,05,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 11

कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय हेतु ₹ 877.38 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,77,38,000 प्रथम अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 12 से 23

जिला स्तर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सेल हेतु निम्नानुसार पद निर्माण किया जाना है।

क्र	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान	भर्ती का स्वरूप
1	जिला कार्यक्रम समन्वयक	03	35000 एकमुश्त प्रतिमाह	संविदा
2	जिला कार्यक्रम सहायक	03	20000 एकमुश्त प्रतिमाह	संविदा
	योग	06		

इस पर ₹ 8.96 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401**मद क्रमांक 24**

चना फसल उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय हेतु ₹ 1440.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 14,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403**मद क्रमांक 25 से 26**

नेशनल लाइवस्टॉक मिशन योजनान्तर्गत ₹ 299.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,99,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406**मद क्रमांक 27 से 29**

नवीन "मुख्यमंत्री बांस विकास योजना" के लिए ₹ 130.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852**मद क्रमांक 30**

राज्य के औद्योगिक इकाईयों को लागत पूजी अनुदान हेतु ₹ 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4070**मद क्रमांक 31**

विशेष न्यायाधीश (एट्रो.) रायगढ़ के लिए 1 नग नवीन वाहन क्रय हेतु ₹ 7.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202**मद क्रमांक 32**

शासकीय महाविद्यालय सारंगढ़ में 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण हेतु 100.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210**मद क्रमांक 33**

चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर (सिम्स) में चिकित्सकीय उपकरण क्रय हेतु ₹ 550 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 34

अनुसूचित जाति के विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य हेतु ₹ 3677.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 36,77,00,000 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5275

मद क्रमांक 35

संचार क्रांति योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 6801.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 68,01,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।